(iii) Shri Zamir-ul-Islam, Executive Engineer

(iv) Shri M. L. Kakra, Sanitation Superintendent

(v) Shri J. P. Nath, Chief Sanitory Inspector

(vi) Shri Rattan Lal, Chief Sanitary inspector

(vii) Shri S. K. Sharma, Sanitory Isspector

(viii) Shri T. P. Gupta, Executive Engineer

4. *Particulars of the Employees of Delhi Development Authority who have been found prima facie responsible and whose cases are under investigation*

(i) Shri R. K. Bhandari, Chief Engineer

(ii) Shri S. K. Kapoor, Executive Engineer

(iii) Shri R. L. Jain, Executive Engineer

(iv) Shri S. K. Khurana, Asstt. Engineer

(v) Shri A. K. Goel, Asstt. Engineer

(vi) Shri Prabhat Chadha, Asstt. Engineer

(vii) Shri V. N. Kalthia, Asstt. Engineer

(viii) Shri S. K. Jain, Asstt. Engineer

(ix) Shri Hahi Om Verma, Junior Engineer

(x) Shri A. C. Jain, Junior Engineer

(xi) Shri V. K. Talwar, Junior Engineer

(xii) Shri S. C. Solanki, Junior Engineer

(xiii) Shri J. S. Jhogat, Junior Engineer

(xiv) Shri J. S. Gupta, Junior Engineer

(xv) Shri Mandir, Junior Engineer

(xvi) Shri S. C. Agarwal, Executive Engineer

(xvii) Shri B. S. Jayant, Asstt. Engineer

(xviii) Shri J. P. Bassal, Asstt. Engineer

(xix) Shri Suresh Mehta, Superintending Engineer

(xx) Shri S. K. Malhotra, Superintending Engiseer.

कृषि आदानों की खरीद के लिये राज्यों को लघु अवधि के ऋण

*322. **श्रीमती रत्न कुमारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आदानों की खरीद के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को लघु अवधि के ऋण दिये जाते हैं ; यदि हां, तो किस आधार पर ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां" हो, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा मांगे गये ऋणों का ब्यौरा क्या है और उन राज्यों को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि के ऋण उपलब्ध कराये गये ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्हें इस संबंध में उनकी आवश्यकताओं तथा मांगों के अनुसार निधियां उपलब्ध नहीं की गई और इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (ग) जी, हां । राज्य सरकारों को उर्वरकों, बीजों और कीटनाशी दवाइयों जैसे कृषि आदानों की खरीद और वितरण में सहायता देने के लिये उन्हें छोटी अवधि के ऋण मंजूर किए जाते हैं । छोटी अवधि के ऋण मंजूर करते समय उर्वरकों की जरूरत और खपत, सूखे/बाढ़ के प्रभाव, और उर्वरकों का काम सभालने वाली सहकारी समितियों की कम विकसित स्थिति जैसे पहलुओं पर पूरा ध्यान दिया जाता है । वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान

विभिन्न राज्यों द्वारा मांगे गये तथा उन्हें मंजूर किये गये छोटी अवधि के ऋणों का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है (देखिए परिशिष्ट 149, अनुपत्र सं. 140)। बजट व्यवस्था में कमी के कारण राज्यों को उनकी मांगों के अनुसार छोटी अवधि के ऋण नहीं दिये जा सके।

भवन निर्माताओं द्वारा खरीदी गई भूमि की कीमत की अदायगी न किया जाना

*326. **श्री राम जेटमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित अनेक व्यापारिक भवन निर्माताओं ने उनके द्वारा नीलामी में खरीदी गई भूमि की धनराशि अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण को अदा नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो भवन निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा इस समय उनके नाम कितनी-कितनी राशि बकाया है;

(ग) अभी तक इस राशि को उनसे प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार बकाया राशि के प्राप्त न होने के कारण भूमि का आवंटन रद्द करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके साथ इस प्रकार की नरमी बरतने के क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ङ) कुल मिलाकर ऐसे 12 मामले हैं, एक मामले में बोली निरस्त की गई थी, धरोहर राशि जब्त कर ली गई तथा प्लाट को पुनः आवंटित किया गया था। दो मामलों में पार्टियों द्वारा प्रीमियम का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान न करने के कारण बोली को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। दोनों ही पार्टियां न्यायालय की शरण में गई और ये मामले न्यायाधीन हैं। दो और मामले विभिन्न आधारों पर न्यायाधीन हैं। छठे मामले में निर्माता शेष राशि का ब्याज सहित भुगतान करने को तैयार है बशर्ते उसे 1980 में नीलामी के समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित शर्तों के अनुसार भवन निर्माण करने की अनुमति दी जाए। लेकिन फरवरी, 1988 में सरकार द्वारा इस मामले में जारी किए गए मार्गनिर्देशनों के अनुसार इन शर्तों पर भवन निर्माण अनुमेय नहीं है। मामलों के इस पहलू की दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माता के साथ जांच की जा रही है। प्रीमियम की शेष राशि के भुगतान की अन्तिम तारीख में छूट तथा उन शर्तों के मूल प्रश्न पर शेष 6 मामले विचाराधीन हैं जिनपर इस प्रकार की छूट दी जानी चाहिए।

2. लम्बित कुल 11 मामलों में से केवल तीन मामलों में भूमि का कब्जा दिया गया है। इन सभी तीनों मामलों में प्रीमियम का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त हो गया है तथा ब्याज सहित शेष राशि बैंक गारन्टी समर्थित है।

Criteria for granting a Licence to start a sugar factory in Maharashtra

*328. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what are the criteria for granting a licence to start a Sugra factory in Maharashtra;

(b) whether any relaxation has been given in the above criteria; and

(c) if so, the details thereof and the reasons for the same?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) Industrial licences for startin new sugar factories in the country including the State of Maharashtra are being granted is accorrance with the guidelines issued *vide* press Note No. 1 (1987-series) dated 2.1.1987 by the Ministery of Industry (Deptt. of I. D.). A copy of the press note is attached as Statement. (*See* below).